हरियाणा सरकार

खाद्य तथा पूर्ति विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या सा०का०नि० 37/संवि०/अनु० 309/2013,.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग उप-कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982, को आगे, संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग उप-कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग उप-कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9क.—(1) टंकण परीक्षा, लिपिकों, आशुटंककों और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक जिन्होंने टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) पास करने का विकल्प होगा। इसके अतिरिक्त, आशुटंककों और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा(एस०ई०टी०सी०) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गए हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप-नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा

करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसैसिंग, इन्टरनेट बराउजिंग तथा ई-मेल मनेजमैन्ट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाइपिंग स्पीड, चूंकि टाइपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जाएगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) देने से छूट दी जाती है :—

(i) एम०टैक०/बी०टैक० (कम्प्यूटर), एम०सी०ए०, बी०सी०ए० या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटैकनिक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;

(ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन०आई०ई०एल०आई०टी०) (पूर्वी डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;

(iii) एच०के०सी०एल० के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए०एल०सीज०) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एच०एस०सी०आई०टी०);

(iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एस०ई०टी०सी० पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैद्य माना जाएगा; तथा

(v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पॅरैल्इसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नॅ:व पॉ:ल्जि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नॅ:वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशॅन डिजेनॅरॅटिव डिस्ऑ:ड्ऑ जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,—

I. क्रम संख्या 10 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्निलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

3
"(i) 10+2;"; तथा

II. क्रम संख्या 11 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्निलिखित मद

प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

3

"(i) 10+2 ;" ।

III. क्रम संख्या 13 के सामने,—

(क) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) तथा (iii) के स्थान पर, निम्निलिखित मद प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(i) 10+2 ;";

(iii) नियम 9क के दृष्टिगत लोप की गई है ;

(ख) खाना 4 के नीचे, विद्यमान मद (i) तथा (iii) के स्थान पर, निम्निलिखित मद प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

"(i) 10+2 ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; तथा

(iii) नियम 9क के दृष्टिगत लोप की गई है। ";।

टी० वी० एस० एन० प्रसाद,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग।

[*Authorised English Translation*]

HARYANA GOVERNMENT

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

Notification

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 37/Const./Art. 309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Food and Supplies Department Sub-offices (Group C) Service Rules, 1982, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Food and Supplies Department Sub-Offices (Group C) Service (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana Food and Supplies Department Sub-Offices (Group C) Service Rules, 1982 (hereinafter called the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely :—

"9A. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists and Junior Scale Stenographers . The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists and Junior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). The Steno-typists and Junior Scale Stenographers shall also have to qualify stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruitment. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in the Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk, Steno-typist and Junior Scale Stenographers shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government,

would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) :—

(i) M. Tech./B.Tech. (Computers), M.C.A., B.C.A. or Diploma in Computers from the recognized institute *e.g.* Polytechnics;

(ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];

(iii) Haryana State - Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorised Learning Centres (ALCs) of the HKCL;

(iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of five years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and

(v) Physically disabled candidates *i.e.* amputation of hand (Left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped. However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC)."

3. In the said rules, in Appendix B,—

I. against serial number 10, under column 3, for existing item at (i), the following items shall be substituted, namely :—

"(i) 10+2;".

II. against serial number 11, under column 3, for existing item at (i), the following items shall be substituted, namely :—

"(i) 10+2;".

III. against serial number 13,—

(a) under column 3, for existing item (i) and (iii) the following items shall be substituted, namely :—

"(i) 10+2;

(iii) omitted in view of rule 9A;".

(b) under column 4, for existing item (i) and (iii), the following items shall be substituted, namely :—

"(i) 10+2;

(ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard; and

(iii) omitted in view of rule 9A.".

T.V.S.N. PRASAD,
Principal Secretary to Government Haryana,
Food and Supplies Department.